

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता०

सीताराम लाव वसुध ननकु लाव

जेल - बालूमाथ, जिला - लातेहार

वाद सं०- 17 / 2022-23

केस का प्रकार-

विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12-4-2023	आवेदक सीताराम लाव पिता वसुध ननकु लाव माँ - श्रीमती. गुरा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि सीता-बालूमाथ के जमाना सं० 115 कोर्ट नं० 1523 वकला 03 डिप्लोमा भूमि से संकलित है। इस भूमि से अनुसूचित जाति/प्राय जाति/हरे के विविध वाद सं० 16/2021 एवं कोर्ट/अपील Revision N. 25/2021 द्वारा आदेशित किया गया जाति/हरे से कोर्ट पर के निर्णय के बाद आवेदक को ननकु लाव पिता वसुध ननकु लाव द्वारा नहीं दया जा रही है। इस न्याय हेतु आवेदन के आदेश के बाद की अर्जा प्रारम्भ की गयी है। उभय पक्ष को निर्दिष्ट निर्दिष्ट करें। वाद की अर्जा विधि के उभय पक्ष उपस्थित रहेंगे। अतिरिक्त दिनांक 19.4.2023 के उपलब्ध	

अपील

अपील



कार्यालय अंचल अधिकारी, बालूमाथ (लातेहार)।

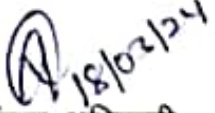
आदेश

प्रेषित,

श्री ननकु साव पिता शीतल साव
ग्राम व थाना बालूमाथ,
जिला लातेहार।

इस कार्यालय में चल रहे विविध वाद संख्या-17/2023 सीताराम साव बनाम ननकु साव के मामले में सभी पहलुओं पर द्विचार किया गया। अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। आपके पक्ष के अमीन मोतीउर रहमान एवं अंचल अमीन श्री भुनेश्वर प्रसाद के नापी के उपरांत उनकी स्वीकारोक्ति एवं स्थानीय लोगों की स्वीकारोक्ति का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि मौजा बालूमाथ के केवाला नम्बर 1010 दिनांक 20.07.1977 के द्वारा पत्नी के नाम से जो 5 डी0 जमीन खरीदा गया है उस पर आपका पक्का मकान वर्ष 1977 ई0 से ही बना हुआ है जिसमें आप सपरिवार निर्विरोध एवं शांतिपूर्ण निवास करते चले आ रहे हैं। खरीदगी सम्पूर्ण 5 डी0 जमीन पर आपका मकान बना हुआ है। आपके मकान के पश्चिम में जो खाली जमीन है वह आपके खरीदगी 5 डी0 से बाहर है। खरीदगी 5 डी0 के स्थान पर 8 डी0 पर दावा करने का आपका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है।

इसलिए आपको हिदायत किया जाता है कि कानून अपने हाथों में न लें। 5 डी0 के स्थान पर 8 डी0 पर जबरन कब्जा न करें। आप चाहे तो अपील कर सकते हैं परन्तु अपने मकान के पश्चिम खाली जमीन पर सीताराम साव के दखल कब्जा में व्यवधान उत्पन्न न करें, अन्यथा यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।


अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।